NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 01-07-2026

विषय सूची

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन

खाड़ी देशों से प्राप्त प्रेषण में वृद्धि

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 10 वर्ष

राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय संतुलन की चुनौती

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नौ वर्ष

संक्षिप्त समाचार

- हूल दिवस
- एफसीआरए 2.0 पोर्टल एवं ई-ओसीआई कार्ड
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) एवं अपार (APAAR)
- जलवायु टिपिंग पॉइंट्स

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन

संदर्भ

- गृह मंत्रालय के अनुसार, **1 जनवरी, 2027** से नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत होने वाली सभी जाँचों एवं न्यायिक ट्रायल से संबंधित प्रक्रियाओं का डिजिटल रूप से अभिलेखन किया जाएगा।

परिचय

- **अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली** की स्थापना पुलिस (CCTNS), न्यायालय (e-Courts), कारागार (e-Prisons), विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (e-Forensics) तथा अभियोजन (e-Prosecution) प्रणालियों को एकीकृत करके की गई है।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, जबकि **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में कार्य कर रहा है।
- **ICJS 2.0** परियोजना के अंतर्गत सभी अनुप्रयोगों का उन्नयन किया जा रहा है तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को हार्डवेयर तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

Digital drive

The digitisation aims to make way for faster, more transparent, and integrated justice delivery nationwide

- All investigations and trials under BNS, BSS, and BNSS will be digitally recorded and stored on the **MeghRaj** government cloud platform
- The **Interoperable Criminal Justice System** (ICJS) connects police, courts, prisons, prosecution, and forensic laboratories on a single platform
- Over **63,500** zero-FIRs have been registered, allowing complaints to be filed regardless of jurisdiction and transferred electronically
- 25 new **forensic laboratories** have been added in two years to support mandatory forensic investigations
- Implementation has risen from 46.47% to 70.06% since January 2025, with improved **chargesheet compliance** and millions of digital evidence IDs and e-summons generated

ICJS द्वारा संबोधित प्रमुख क्षेत्र

- पुलिस, कारागार, विधि विज्ञान, अभियोजन तथा न्यायालयों के विभिन्न आँकड़ा-समूहों (Data Sets) के मध्य निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना।
- डेटा प्रविष्टि में होने वाली त्रुटियों को कम कर डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- विभिन्न स्तंभों के मध्य सूचनाओं की सहज उपलब्धता के माध्यम से जाँच एवं न्यायिक विचारण की प्रभावशीलता तथा समयबद्धता बढ़ाना।
- जाँच प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (AI/ML) आधारित उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाना।
- निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में कागजी अभिलेखों पर निर्भरता कम करना।
- **"स्मार्ट पुलिसिंग "** की दिशा में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना।

विकसित एवं उन्नत की जा रही प्रमुख डिजिटल प्रणालियाँ

- **अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS) परियोजना, 2009:** इसका उद्देश्य सभी पुलिस थानों को एक समान अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर से जोड़ना है।
  - यह जाँच, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान, नीति-निर्माण तथा नागरिक सेवाओं के प्रभावी प्रावधान में सहायक है।
- **ई-प्रिज़न्स** : यह एक क्लाउड-आधारित एकीकृत अनुप्रयोग है, जिसे भारत के सभी राज्यों के लिए विकसित किया गया है, जहाँ राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें आवश्यक विन्यास कर सकते हैं।
  - यह कारागारों में निरुद्ध बंदियों से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी न्यायालयों, कारागार अधिकारियों तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अन्य संस्थानों को उपलब्ध कराता है।
- **ई-फॉरेंसिक्स** : यह ICJS परियोजना के अंतर्गत विकसित एक ऑनलाइन प्रकरण पंजीकरण एवं ट्रैकिंग प्रणाली है।
  - यह विधि विज्ञान विशेषज्ञों को पुलिस के लिए शीघ्र, सटीक एवं विश्वसनीय फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है।
- **ई-प्रॉसिक्यूशन:** इसका मुख्य उद्देश्य लोक अभियोजकों की कार्यप्रणाली का डिजिटलीकरण करना है।
  - यह आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शी एवं त्वरित न्यायिक विचारण सुनिश्चित करने में सहायक है।

- **राष्ट्रीय स्वचालित अंगुलिचिह्न पहचान प्रणाली (NAFIS):** यह अपराधियों के अंगुलिचिह्नों का एक केंद्रीकृत भंडार है।
    - इसका उपयोग सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।
- **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) प्रणाली:** सरकार ने **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022** अधिनियमित किया है।
    - यह अधिनियम पुलिस एवं कारागार अधिकारियों को आपराधिक मामलों में पहचान एवं जाँच के उद्देश्य से संबंधित व्यक्तियों के मापन एकत्र करने का अधिकार प्रदान करता है।
    - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** को इस अधिनियम के देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

चिंताएँ

- **डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम:** आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न डेटाबेसों के एकीकरण से डेटा उल्लंघन, साइबर हमलों तथा संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनाओं के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।
- **डिजिटल विभाजन एवं असमान पहुँच:** ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल अवसंरचना तथा कम डिजिटल साक्षरता के कारण कमजोर एवं वंचित वर्ग न्याय तक पहुँच से वंचित हो सकते हैं।
- **निष्पक्ष न्यायिक विचारण एवं विधिसम्मत प्रक्रिया पर प्रभाव:** तकनीकी त्रुटियाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ तथा आभासी न्यायिक कार्यवाहियों पर अत्यधिक निर्भरता प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व एवं न्याय तक पहुँच को बाधित कर सकती है।
- **संस्थागत एवं अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:** विभिन्न प्रणालियों के मध्य सीमित अंतर-संचालनीयता, अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना तथा पुलिस, अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण प्रभावी क्रियान्वयन प्रभावित होता है।
- **विधिक एवं नियामकीय कमियाँ:** भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल साक्ष्य, जवाबदेही एवं डेटा शासन से संबंधित व्यापक विधिक ढाँचे का अभाव है, जिससे अनिश्चितता एवं संभावित दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

आगे की राह

- **डेटा संरक्षण एवं साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण:** आपराधिक न्याय डेटाबेस के लिए सुदृढ़ डेटा संरक्षण मानक, नियमित सुरक्षा ऑडिट, एन्क्रिप्शन तथा कठोर अभिगम नियंत्रण लागू किए जाएँ।
- **डिजिटल विभाजन को कम करना:** डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिजिटल साक्षरता में सुधार किया जाए तथा डिजिटल रूप से वंचित नागरिकों के लिए ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएँ।
- **संस्थागत क्षमता का विकास:** पुलिस, अभियोजकों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों एवं न्यायिक अधिकारियों को डिजिटल उपकरणों, साइबर फॉरेंसिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- **सुदृढ़ विधिक एवं नैतिक ढाँचा का विकास:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चेहरे की पहचान तथा डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएँ तथा गोपनीयता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया की सुरक्षा हेतु स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
- **अंतर-संचालनीयता एवं अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण: अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS)** के अंतर्गत पुलिस, न्यायालय, कारागार, अभियोजन तथा विधि विज्ञान प्रणालियों के मध्य मानकीकृत प्रोटोकॉल एवं विश्वसनीय डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से निर्बाध एकीकरण को सुदृढ़ किया जाए।

स्रोत: TH

खाड़ी देशों से प्राप्त प्रेषण में वृद्धि

संदर्भ

- आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित **मासिक आर्थिक समीक्षा** के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद **अप्रैल 2026** में खाड़ी क्षेत्र से भारत को प्राप्त

शुद्ध प्रेषण बढ़कर **16 अरब अमेरिकी डॉलर** हो गया, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में **70% अधिक** है।

परिचय

- **वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26)** में भारत को प्राप्त प्रेषण बढ़कर **155.1 अरब अमेरिकी डॉलर** के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जबकि **FY25** में यह **135.4 अरब अमेरिकी डॉलर** था। इस प्रकार इसमें **वर्ष-दर-वर्ष 14.5% की वृद्धि** दर्ज की गई।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में प्रेषण की हिस्सेदारी **FY25 के 3.6%** से बढ़कर **FY26 में 4.0%** हो गई।
- पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण खाड़ी देशों से भारत आने वाले प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाओं के विपरीत, **प्रेषण प्राप्तियाँ** सुदृढ़ बनी हुई हैं।
    - प्रेषण में यह स्थिरता इसलिए बनी रही क्योंकि यह मुख्यतः क्षेत्र के **श्रम बाजार की परिस्थितियों** पर आधारित होता है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), पोर्टफोलियो निवेश एवं ऋण प्रवाह जैसे अपेक्षाकृत अस्थिर वित्तीय प्रवाहों की भाँति अल्पकालिक संकटों से प्रभावित नहीं होता।
    - रिपोर्ट के अनुसार, भारत के **बाह्य वित्तपोषण** के स्रोतों में प्रेषण ऐतिहासिक रूप से सबसे स्थिर घटकों में से एक रहा है।

प्रेषण

- **प्रेषण** वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरे देश में स्थित व्यक्तियों, विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों, को धन भेजा जाता है।
- सामान्यतः यह धन विदेशों में कार्यरत व्यक्तियों, विशेषकर **ब्लू-कॉलर** अथवा **कुशल श्रमिकों** द्वारा भेजा जाता है।
- **प्रेषण के माध्यम :** प्रेषण निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है—
    - बैंकों के माध्यम से।
    - धन अंतरण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से।
    - डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों के माध्यम से।
- **प्रेषण के प्रकार:** लेन-देन के उद्देश्य के आधार पर प्रेषण दो प्रकार का होता है—
    - **अंतर्वर्ती प्रेषण :** किसी अन्य खाते से घरेलू अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धनराशि का किसी खाते में स्थानांतरण **अंतर्वर्ती प्रेषण** कहलाता है।
    - **बाह्य प्रेषण:** किसी देश से विदेश अथवा अन्य देश में धनराशि का स्थानांतरण **बाह्य प्रेषण** कहलाता है।
- **प्रभाव :** प्रेषण अनेक देशों के लिए आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
    - यह आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है।
    - अनेक देशों में यह **व्यापार घाटे** के वित्तपोषण में भी सहायक सिद्ध होता है।

स्रोत: TH

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 10 वर्ष

संदर्भ

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** ने **सतत जल प्रबंधन** तथा **सिंचाई कवरेज के विस्तार** के माध्यम से सिंचाई-आधारित कृषि परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हुए अपने **10 वर्ष से अधिक** सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के बारे में

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) वर्ष **2015** में **"हर खेत को पानी"** तथा **"प्रति बूंद अधिक फसल "** के दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ की गई एक प्रमुख सिंचाई योजना है।
- इसका उद्देश्य **जल स्रोतों के सृजन से लेकर खेत स्तर पर जल के कुशल उपयोग तक** जल संसाधनों का समेकित विकास एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- यह योजना **अभिसरण दृष्टिकोण** पर आधारित है, जिसके अंतर्गत **जल शक्ति मंत्रालय**, **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** तथा **ग्रामीण विकास मंत्रालय** संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।

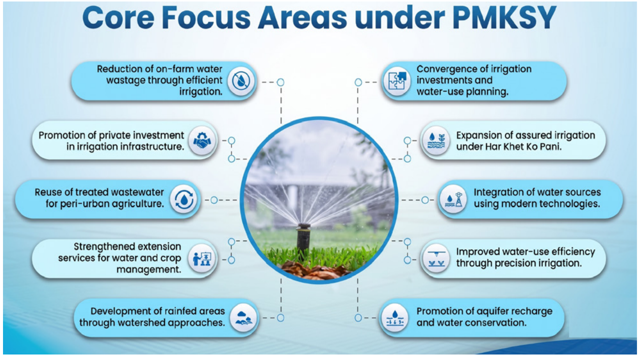

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के प्रमुख घटक

- **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP):** इसका उद्देश्य प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना है।
    - यह सिंचाई अवसंरचना के विकास तथा जल की उपलब्धता में सुधार सुनिश्चित करता है।
    - वर्ष **2016-17** से अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत **21,023 करोड़ रुपये से अधिक** की केंद्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
    - इससे लगभग **1.73 करोड़ किसानों** को लाभ प्राप्त हुआ है।
    - हाल ही में स्वीकृत **कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)** का उद्देश्य दाबयुक्त पाइप नेटवर्क तथा **सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों** के माध्यम से खेतों तक जल पहुँचाना है।
- **हर खेत को पानी (HKKP):** इसका उद्देश्य लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं भू-जल विकास के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई का विस्तार करना है।
    - यह पारंपरिक जलाशयों के **मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन (RRR)** को भी प्रोत्साहित करता है।
    - अब तक **3,462 से अधिक** सतही लघु सिंचाई एवं RRR योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है।
- **जलागम विकास घटक :** यह वर्षा-आधारित एवं अवनत क्षेत्रों में समेकित जलागम प्रबंधन को प्रोत्साहन देता है।
    - इसके माध्यम से मृदा में आर्द्रता संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण तथा जलवायु अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ किया जाता है।
- **प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC):** इसका उद्देश्य **ड्रिप** एवं **स्प्रिंकलर सिंचाई** जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहन देना है।
    - वर्ष **2022-23** से इस घटक को **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY)** में समाहित कर दिया गया है।
    - इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है—
        - **लघु एवं सीमांत किसानों** को **55% अनुदान**।
        - **अन्य किसानों** को **45% अनुदान**।

भारत की सिंचाई अवसंरचना से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **मानसून पर अत्यधिक निर्भरता** भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग आधा भाग वर्षा-आधारित कृषि पर निर्भर है, जिससे कृषि अत्यधिक मानसून-निर्भर बनी रहती है।
- **जल का अकुशल उपयोग:** भारतीय कृषि में बाढ़ सिंचाई का व्यापक उपयोग होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण, बहाव तथा रिसाव से जल की पर्याप्त हानि होती है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई कवरेज अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि पूर्वी एवं मध्य भारत के अनेक क्षेत्र अब भी सिंचाई सुविधाओं से वंचित हैं।
- **भू-जल का क्षरण:** अनियोजित एवं अत्यधिक दोहन के कारण अनेक क्षेत्रों में भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।
- **अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएँ:** वित्तीय संसाधनों की कमी एवं प्रशासनिक विलंब के कारण अनेक प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ दशकों से अधूरी पड़ी हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** सूखे की बढ़ती आवृत्ति, अनियमित वर्षा तथा चरम मौसमीय घटनाएँ कृषि की स्थिरता एवं उत्पादकता के लिए गंभीर चुनौती बन रही हैं।

PMKSY किस प्रकार समाधान प्रस्तुत करती है?

- **समेकित जल संसाधन प्रबंधन:** PMKSY जल स्रोतों के सृजन से लेकर खेत स्तर पर जल के कुशल उपयोग तक संपूर्ण सिंचाई मूल्य श्रृंखला का समग्र प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

- **सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन:** ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियाँ जल की न्यूनतम हानि सुनिश्चित करती हैं तथा सिंचाई दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करती हैं।
- **सुनिश्चित सिंचाई का विस्तार:** AIBP तथा HKKP के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में सिंचाई अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा है।
- **जलागम आधारित विकास:** वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण तथा मृदा संरक्षण जैसे उपाय वर्षा-आधारित क्षेत्रों की जलवायु अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ बनाते हैं।
- **अभिसरण एवं विकेंद्रीकृत योजना निर्माण:** यह योजना विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **जलवायु अनुकूल कृषि:** जल संसाधनों के कुशल एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से किसान जलवायु परिवर्तन, सूखा एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम एवं अनुकूल बनते हैं।

विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **सिंचाई कवरेज का विस्तार:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को **वर्ष 2021-26** की अवधि तक **93,068.56 करोड़ रुपये** के कुल परिव्यय के साथ जारी रखा गया है।
    - **अगस्त 2025** तक इस योजना से **2.7 करोड़ (27 मिलियन) से अधिक किसानों** को लाभ प्राप्त हो चुका है।
    - विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से **2.461 करोड़ हेक्टेयर (24.61 मिलियन हेक्टेयर)** से अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया अथवा विकसित किया गया है।
- **सिंचाई क्षमता में वृद्धि: हर खेत को पानी (HKKP)** घटक के अंतर्गत किए गए हस्तक्षेपों से लगभग **5.93 लाख हेक्टेयर** अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।
    - भू-जल विकास संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से लगभग **88.55 हजार हेक्टेयर** अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जोड़ी गई है।
- **सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन:** लगभग **110.92 लाख हेक्टेयर** क्षेत्र को **सूक्ष्म सिंचाई** के अंतर्गत लाया गया है।
    - इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग **9.3 लाख किसानों** को सहायता प्रदान की जाती है।
- **जल उपयोग दक्षता में वृद्धि: स्प्रिंकलर** एवं **ड्रिप सिंचाई** प्रणालियों के उपयोग से जल, उर्वरक, विद्युत तथा श्रम की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है।
    - इससे सिंचाई दक्षता में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उत्पादन की लागत में भी कमी आई है।
- **किसानों की आय में वृद्धि: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले** के किसानों के अनुभवों से ज्ञात होता है कि—
    - फसल उत्पादकता में **25–30%** तक वृद्धि हुई है।
    - जल एवं अन्य कृषि निवेशों के उपयोग में लगभग **50%** की कमी आई है।
    - किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग **60,000 से 70,000 रुपये** तक का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- **प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन:** जलागम आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से **मृदा स्वास्थ्य, भू-जल पुनर्भरण** तथा **पारिस्थितिकीय सततता** में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
    - इन प्रयासों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता एवं जलवायु अनुकूलन क्षमता को भी सुदृढ़ किया है।

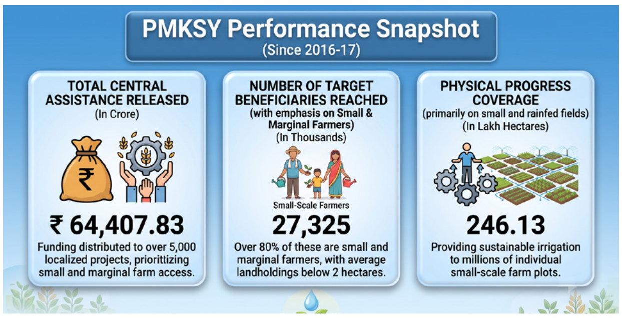

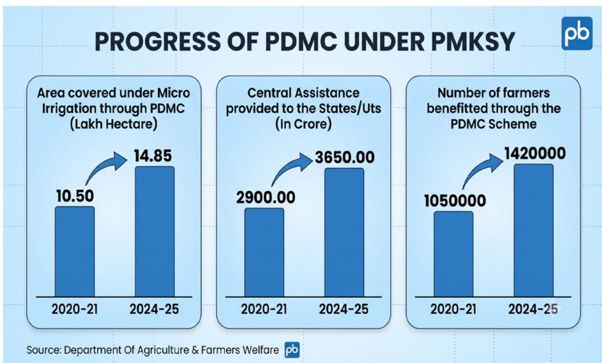

आगे की राह

- **सूक्ष्म सिंचाई का सार्वभौमिक विस्तार:** वर्तमान में भारत के **शुद्ध बोए गए क्षेत्र** का केवल एक छोटा भाग ही **सूक्ष्म सिंचाई** के अंतर्गत आता है।
    - जल उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है।
- **सहभागी सिंचाई प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण:** जल के समुचित वितरण, कुशल प्रबंधन तथा सिंचाई अवसंरचना के प्रभावी रखरखाव के लिए **जल उपयोगकर्ता संघों** को अधिक सशक्त एवं सक्षम बनाया जाना आवश्यक है।
- **अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना:** लंबित सिंचाई परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे सिंचाई क्षमता का शीघ्र विस्तार हो सके।
- **फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन:** जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में **अधिक जल-गहन** फसलों के स्थान पर **कम जल की आवश्यकता वाली फसलों** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जल संसाधनों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- **प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार: रिमोट सेंसिंग , भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सिंचाई परामर्श**, तथा **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समर्थित परिशुद्ध कृषि** जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग सिंचाई प्रबंधन को अधिक प्रभावी एवं दक्ष बना सकता है।
- **भू-जल शासन में सुधार:** दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **वैज्ञानिक भू-जल बजट** तथा **जलभृतों के वैज्ञानिक प्रबंधन** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **विभिन्न योजनाओं के मध्य अधिक अभिसरण :** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY)** तथा **अटल भूजल योजना** जैसी योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि संसाधनों का अधिकतम एवं समन्वित उपयोग हो सके।

स्रोत: PIB

राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय संतुलन की चुनौती

संदर्भ

- हाल ही में केरल एवं तमिलनाडु सरकारों द्वारा जारी श्वेत पत्रों ने यह रेखांकित किया है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त करने के बावजूद राज्य सरकारें बढ़ते हुए राजकोषीय दबाव का सामना कर रही हैं।

राज्यों पर बढ़ता सार्वजनिक ऋण

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट 2025–26 के अनुसार, राज्यों ने वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य सरकार प्रतिभूतियों के माध्यम से 12.76 लाख करोड़ रुपये एकत्रित किए, जबकि 2024–25 में यह राशि 10.73 लाख करोड़ रुपये थी।
    - राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का 76.3% वित्तपोषण बाजार से उधार लेकर किया गया, जबकि विगत वर्ष यह 71.8% था।
- राज्यों द्वारा उधारी में तीव्र वृद्धि के कारण राज्य विकास ऋण (SDLs) तथा तुलनीय केंद्र सरकार प्रतिभूतियों (G-Secs) के प्रतिफल के मध्य अंतर बढ़ गया है।
    - SDLs पर भारित औसत कट-ऑफ प्रतिफल 2024–25 के 7.20% से बढ़कर 2025–26 में 7.32% हो गया।

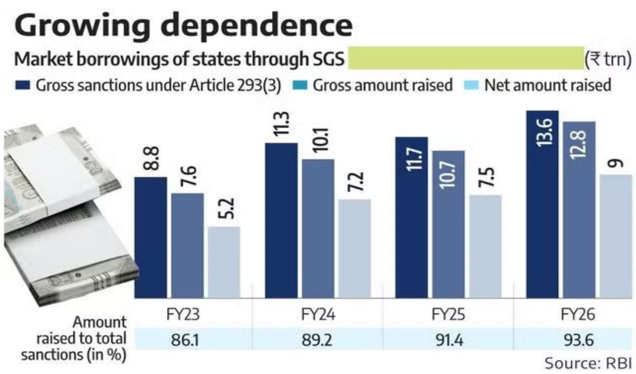

राज्य सरकारें के राजकोषीय दबाव का सामना करने के कारण

- **विकास संबंधी उत्तरदायित्व:** राज्य सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, शहरी एवं ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के प्रदाय के लिए उत्तरदायी हैं।

- बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण तथा नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **सीमित राजस्व संग्रहण क्षमता :** राज्य सरकारें अपने राजस्व के लिए मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा मोटर वाहन कर पर निर्भर रहती हैं।
- **केंद्र से हस्तांतरण पर निर्भरता:** राज्य सरकारें करों के बँटवारे , वित्त आयोग के अनुदानों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा ऋणों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं।
    - राज्यों ने करों के अपर्याप्त बँटवारे तथा शर्तबद्ध अनुदानों को लेकर अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं।
- **चालू व्यय की पूर्ति हेतु उधारी:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में उधारी के 'स्वर्णिम नियम' के उल्लंघन की ओर संकेत किया गया है, जिसके अनुसार सरकारों को ऋण केवल पूंजीगत निवेश हेतु लेना चाहिए, न कि चालू अथवा परिचालन व्यय की पूर्ति के लिए।
    - CAG ने पाया कि पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों में शुद्ध उधारी का आधे से अधिक भाग अवसंरचना निर्माण के बजाय वेतन, पेंशन एवं सब्सिडी जैसे राजस्व व्ययों पर व्यय किया गया।

राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपाय

- **राजकोषीय संघवाद का सुदृढ़ीकरण:** राज्यों को उनके व्यय संबंधी दायित्वों की पूर्ति हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
    - इससे राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता में वृद्धि होगी।
- **पूंजीगत व्यय में वृद्धि:** राज्यों को अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा तथा डिजिटल अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए।
    - अधिक पूंजीगत व्यय उत्पादकता बढ़ाता है तथा दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करता है।
- **उधारी की लागत में कमी:** राज्य विकास ऋण (SDLs) की उधारी लागत कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए, जिससे विकास परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।
- **लोक वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण :** बेहतर परियोजना नियोजन, समयबद्ध क्रियान्वयन, परिणाम-आधारित बजट प्रणाली तथा पारदर्शिता के माध्यम से सार्वजनिक व्यय की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन:** अवसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी सार्वजनिक निवेश का पूरक बनेगी तथा राज्य सरकारों पर पड़ने वाले राजकोषीय दबाव को कम करेगी।

निष्कर्ष

- समावेशी विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा प्रभावी सुशासन की प्राप्ति के लिए राज्यों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति अत्यंत आवश्यक है।
- विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के साथ मानव पूंजी एवं अवसंरचना में निरंतर निवेश पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण राज्यों को भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास का अधिक सशक्त प्रेरक बना सकता है।

भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का विधिक एवं संस्थागत ढाँचा

- **सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 :** यह सार्वजनिक ऋण के निर्गमन एवं प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों को विनियमित करता है, यद्यपि वर्तमान वित्तीय बाजारों की आवश्यकताओं की दृष्टि से इसे अपेक्षाकृत पुराना माना जाता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003:** यह अधिनियम राजकोषीय घाटे एवं सार्वजनिक ऋण के लक्ष्यों का निर्धारण करता है।
    - इसके अंतर्गत पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग तथा मध्यम अवधि की राजकोषीय रणनीति को प्रोत्साहित किया जाता है।
    - यह राजकोषीय अनुशासन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित करता है—
        - **केंद्र सरकार का ऋण :** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 40%

- ▪ **सामान्य सरकार (केंद्र एवं राज्य) का कुल ऋण :** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 60%
- **सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006:** यह सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन, व्यापार एवं प्रबंधन को विनियमित करता है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934:** इस अधिनियम की धारा 17, 20, 21 एवं 21A के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को केंद्र एवं राज्य सरकारों के ऋण का प्रबंधन, ऋण निर्गमन तथा सरकारी प्रतिभूतियों के संचालन का दायित्व सौंपा गया है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293(3) :** अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों की उधार लेने की शक्तियों से संबंधित है।
  - इसके अनुसार, यदि कोई राज्य भारत सरकार का ऋणी है अथवा भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी ऋण का भुगतान अभी शेष है, तो वह भारत सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई नया ऋण प्राप्त नहीं कर सकता।

स्रोत: TH, BS

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नौ वर्ष

संदर्भ

- **1 जुलाई, 2026** को **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** ने **101वें संविधान संशोधन अधिनियम** के अंतर्गत लागू होने के **नौ वर्ष** पूर्ण कर लिए।

GST के नौ वर्ष : प्रमुख उपलब्धियाँ

- **अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण:** GST ने भारत की **औपचारिक अर्थव्यवस्था** के दायरे का उल्लेखनीय विस्तार किया है।
  - पंजीकृत करदाताओं की संख्या **वर्ष 2017 में लगभग 66.5 लाख** से बढ़कर **मई 2026 तक लगभग 1.65 करोड़** हो गई है।
- **2. राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि :** GST से प्राप्त कर राजस्व में वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।
  - **सकल GST राजस्व** वर्ष **2017–18 के लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपये** से बढ़कर **2025–26 में 22.27 लाख करोड़ रुपये** हो गया है।
- **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की दिशा में प्रगति :** GST ने केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले **17 विभिन्न अप्रत्यक्ष करों** का स्थान लेकर **एक समान राष्ट्रीय बाजार** की स्थापना की है।
  - इसके माध्यम से **करों के कर** की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई है तथा **"एक राष्ट्र, एक कर "** की अवधारणा को सुदृढ़ किया गया है।

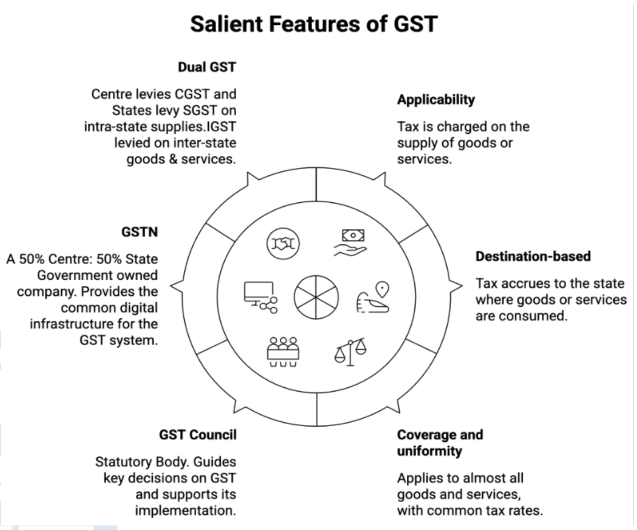

GST 2.0 : प्रमुख सुधार

- **कर दरों का युक्तिकरण:** पूर्व की **चार-स्तरीय कर संरचना (5%, 12%, 18% एवं 28%)** को बड़े पैमाने पर **दो प्रमुख कर स्लैब—5% एवं 18%** में समेकित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **विलासिता एवं अवांछनीय** वस्तुओं पर **40%** की नई कर दर लागू की गई है।
- **घरेलू उपभोक्ताओं को राहत: UHT दूध (टेट्रा पैक), पनीर, रोटी तथा रबड़** जैसी आवश्यक वस्तुओं को **शून्य (0%) GST** श्रेणी में रखा गया है।
  - साबुन, टूथपेस्ट तथा रसोई उपयोग की सामान्य वस्तुओं को **5% GST** श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
- **स्वास्थ्य एवं बीमा क्षेत्र: जीवन बीमा** एवं **स्वास्थ्य बीमा** उत्पादों को **GST से मुक्त** किया गया है।
  - आवश्यक औषधियों तथा चिकित्सा उपकरणों पर GST की दरों में भी कमी की गई है।

- **क्षेत्र-विशिष्ट समर्थन:** GST 2.0 के सुधारों के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली **उलटी शुल्क संरचना** की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण: वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT)** को क्रियाशील बनाया गया है, जिससे कर विवादों के त्वरित निस्तारण को प्रोत्साहन मिलेगा।

आगामी पीढ़ी का GST: लाभ

चुनौतियाँ

- **राजस्व में संभावित कमी:** कर दरों में कमी के परिणामस्वरूप **वित्त मंत्रालय** के अनुसार **वित्त वर्ष 2023–24 के उपभोग आधार** पर लगभग **48,000 करोड़ रुपये** के संभावित राजस्व हानि की आशंका है।
  - इसकी भरपाई के लिए कराधान के आधार का विस्तार आवश्यक होगा।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) समाप्त होने से जुड़ी चिंताएँ:** स्वास्थ्य सेवाओं एवं बीमा उत्पादों पर **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)** समाप्त किए जाने से इन सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यवसायों की लागत बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत आंशिक रूप से कम हो सकती है।
- **पेट्रोलियम उत्पादों का GST के दायरे से बाहर रहना:** पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे से बाहर रखने के कारण **करों के कर** की समस्या बनी हुई है।
  - इससे लॉजिस्टिक्स एवं विनिर्माण क्षेत्र की लागत प्रभावित होती है तथा GST के मूल उद्देश्य—कर दक्षता—को आंशिक रूप से बाधित करती है।
- **संक्रमणकालीन अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ:** कर दरों के युक्तिकरण के बावजूद व्यवसायों को मूल्य निर्धारण संरचना, बिलिंग प्रणाली तथा लेखांकन प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना पड़ रहा है, जिससे अल्पकालिक परिचालन संबंधी जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- **राज्यों की चिंताएँ:** GST क्षतिपूर्ति व्यवस्था की समाप्ति तथा नवीनतम कर दर युक्तिकरण के बाद संभावित राजस्व हानि को लेकर अनेक राज्यों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं।
- **राजस्व वृद्धि की गति में कमी:** यद्यपि GST संग्रह निरंतर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहा है, फिर भी **वर्ष-दर-वर्ष** वृद्धि की गति में कमी देखी जा रही है।
  - इससे दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि की स्थिरता तथा कराधान के आधार को और विस्तृत करने की आवश्यकता पर प्रश्न उठे हैं।

आगे की राह

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण:** फर्जी चालानों पर नियंत्रण के लिए **AI-आधारित चालान मिलान** तथा **वास्तविक समय में ITC सत्यापन प्रणाली** विकसित की जानी चाहिए।
  - इससे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा ईमानदार करदाताओं पर अनुपालन का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
- **सहकारी संघवाद का सुदृढ़ीकरण:** राज्यों की राजस्व संबंधी चिंताओं के समाधान तथा भविष्य के सुधारों पर व्यापक सहमति सुनिश्चित करने के लिए **GST परिषद** के माध्यम से निरंतर संवाद एवं सहयोग बनाए रखना आवश्यक है।
- **GST के कराधान आधार का विस्तार:** कराधान के आधार का विस्तार राजस्व वृद्धि को सुदृढ़ करेगा, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और सरल बनाएगा तथा भारत को एक **व्यापक एवं समग्र GST व्यवस्था** की दिशा में आगे बढ़ाएगा।

- **विवादों का त्वरित निस्तारण : GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT)** को देश के सभी **45 निर्धारित स्थानों** पर शीघ्र क्रियाशील बनाया जाना चाहिए, ताकि लंबित कर विवादों का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा करदाताओं का GST विवाद निवारण प्रणाली में विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

हूल दिवस

संदर्भ

- प्रत्येक वर्ष **30 जून** को **हूल दिवस** के रूप में मनाया जाता है। यह **1855 के संथाल विद्रोह** की वर्षगाँठ का प्रतीक है, जिसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक किसान एवं जनजातीय विद्रोहों में से एक माना जाता है।

संथाल हूल

- **1855 का संथाल हूल** साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक व्यापक जनजातीय विद्रोह था, जिसका नेतृत्व **चार भाइयों—सिदो, कान्हू, चाँद एवं भैरव मुर्मू** तथा उनकी बहनों **फूलो एवं झानो** ने किया।
- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 1832 में ब्रिटिश सरकार ने वर्तमान **झारखंड** में **दामिन-ए-कोह** नामक क्षेत्र को संथाल जनजाति के पुनर्वास एवं बसावट के लिए चिह्नित किया।
  - प्रारंभ में इस क्षेत्र का उद्देश्य शांतिपूर्ण पुनर्वास एवं कृषि विकास को प्रोत्साहित करना था।
  - किंतु समय के साथ बाहरी लोगों (**दिकुओं**) द्वारा शोषण बढ़ने लगा, जिसके परिणामस्वरूप संथालों की भूमि उनसे छिनने लगी तथा वे आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हुए।
- **संथाल हूल : मुर्मू बंधुओं** के नेतृत्व में लगभग **60,000 संथालों** ने **ईस्ट इंडिया कंपनी** के विरुद्ध विद्रोह किया तथा **गुरिल्ला युद्ध** की रणनीति अपनाई।
  - संथालों ने उच्च जातियों, जमींदारों, दरोगाओं तथा साहूकारों के विरुद्ध भी संघर्ष किया, जिन्हें सामूहिक रूप से **'दिकु'** कहा जाता था।
  - ब्रिटिश शासन ने **सिदो मुर्मू** को **1855** में तथा **कान्हू मुर्मू** को **1856** में फाँसी दे दी।
- **महत्त्व:** इस विद्रोह के परिणामस्वरूप **संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1876** तथा **छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908** अधिनियमित किए गए।
  - इन अधिनियमों का उद्देश्य **जनजातीय भूमि अधिकारों** तथा **सांस्कृतिक स्वायत्तता** का संरक्षण सुनिश्चित करना था।

स्रोत: IE

एफसीआरए 2.0 पोर्टल एवं ई-ओसीआई कार्ड

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2.0 पोर्टल** तथा **इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक (e-OCI) कार्ड** का शुभारंभ किया।

एफसीआरए 2.0 पोर्टल

- इस पोर्टल का विकास **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)** के अंतर्गत अनुपालन को सरल बनाने तथा निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।
- आवेदन, नवीनीकरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य सभी प्रमुख सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्णतः **डिजिटल** बना दिया गया है।
- **राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड (MeghRaj)** पर होस्ट किए गए इस पोर्टल में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं—
  - प्रक्रिया पुनर्रचना
  - एकीकृत डैशबोर्ड
  - आधार-आधारित प्रमाणीकरण
  - ई-हस्ताक्षर (e-Sign) सुविधा
  - **OCR (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन)** आधारित दस्तावेज़ विश्लेषण
- यह पोर्टल **PAN, आधार, OCI, NGO दर्पण** तथा **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI)** की **UDIN प्रणाली** सहित प्रमुख सरकारी डेटाबेस एवं बैंकों के साथ एकीकृत है।

ई-ओसीआई कार्ड

- **इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक (e-OCI) कार्ड** वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए **पूर्णतः डिजिटल एवं नागरिक-केंद्रित पहल** है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत आवेदक संपूर्ण **OCI प्रक्रिया** को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं, जिसमें—
  - ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना,
  - आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना,
  - आवेदन की स्वीकृति के पश्चात डिजिटल रूप से जनित OCI कार्ड डाउनलोड करना सम्मिलित है।
- इस पहल का उद्देश्य OCI सेवाओं को अधिक **सरल, पारदर्शी, त्वरित एवं दक्ष** बनाना है।

स्रोत: PIB

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) एवं अपार (APAAR)

संदर्भ

- **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)** शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी डिजिटल मंच है, जिसका विनियमन **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** द्वारा किया जाता है।

परिचय

- **APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी** एक विशिष्ट **12 अंकों की छात्र पहचान संख्या** है, जो **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)** प्रणाली से संबद्ध होती है।
  - इसे **"एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान "** पहल के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक **एकीकृत शैक्षणिक पहचान** उपलब्ध कराना है।
- इसका उद्देश्य एक **लचीली एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा प्रणाली** का निर्माण करना है, जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को मान्यता दी जा सके, उनका सुरक्षित अभिलेखीकरण किया जा सके तथा जीवनभर उनका उपयोग किया जा सके।
- यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** तथा **राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (NCrF)** के उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करता है। इसके माध्यम से—
  - शैक्षणिक क्रेडिट के अंतरण,
  - बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गमन की सुविधा,
  - तथा विभिन्न संस्थानों एवं विषयों में अर्जित अधिगम की मान्यता सुनिश्चित की जाती है।
- यह प्रणाली **डिजीलॉकर** के माध्यम से उपलब्ध है तथा विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं अन्य अधिगम कार्यक्रमों से संबंधित विद्यार्थियों के समस्त शैक्षणिक अभिलेखों को एक ही डिजिटल मंच पर एकीकृत करती है।

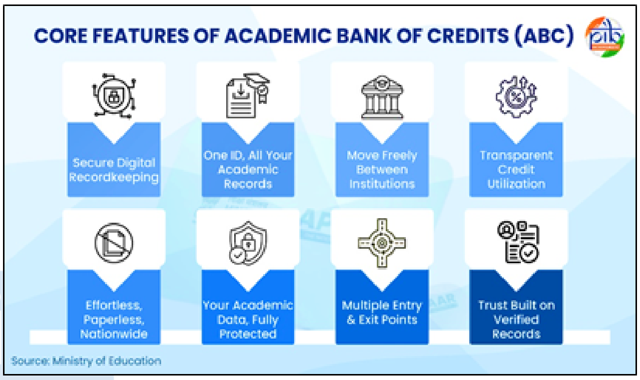

स्रोत: PIB

जलवायु टिपिंग पॉइंट्स

संदर्भ

- **जर्मनी** में आयोजित **बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन** के दौरान **जलवायु टिपिंग पॉइंट्स** प्रमुख चर्चा का विषय रहे।

जलवायु टिपिंग पॉइंट्स क्या हैं?

- **जलवायु टिपिंग पॉइंट** पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की वह **निर्णायक सीमा** है, जिसके पार पहुँचने पर एक छोटा-सा अतिरिक्त परिवर्तन भी व्यापक, स्वयं को निरंतर सुदृढ़ करने वाले तथा संभावित रूप से **अपरिवर्तनीय** परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकता है।
  - एक बार यह सीमा पार हो जाने पर, मूल कारण के कम हो जाने के बावजूद प्रभावित जलवायु प्रणाली में परिवर्तन जारी रह सकते हैं।
- यह प्रक्रिया **सकारात्मक प्रतिपुष्टि चक्र** के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को और तीव्र कर देता है।

प्रमुख संभावित जलवायु टिपिंग पॉइंट्स

- **आर्कटिक समुद्री बर्फ का क्षय:** आर्कटिक क्षेत्र की समुद्री बर्फ के निरंतर पिघलने से पृथ्वी की **परावर्तन क्षमता** कम होती है, जिससे अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित होती है और वैश्विक तापन की गति तीव्र हो जाती है।
- **अमेज़न वर्षावनों का क्षरण:** बढ़ते तापमान, वनों की कटाई तथा वर्षा में कमी के कारण अमेज़न वर्षावन का बड़ा भाग **सवाना** में परिवर्तित हो सकता है।
    - इससे विश्व के सबसे बड़े **कार्बन अवशोषकों** में से एक की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
- **अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण:** इस प्रमुख महासागरीय धारा के कमजोर पड़ने से **यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया** में वर्षा चक्र, कृषि तथा मौसम प्रणालियों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **ग्रीनलैंड हिमचादर का पिघलना :** ग्रीनलैंड की हिमचादर के तीव्र पिघलने से दीर्घकाल में **वैश्विक समुद्र-स्तर** में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- **प्रवाल भित्तियों का विनाश:** महासागरों के बढ़ते तापमान तथा अम्लीकरण के कारण **प्रवाल विरंजन** की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो सकती है, जिससे समुद्री **जैव विविधता** को गंभीर क्षति पहुँचने की आशंका है।

स्रोत: TH

■■■■